

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0-338/2026
विनय कुमार आदि प्रति राज्य



UPAU010008552026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया
पीठासीन अधिकारी- विकास गोस्वामी (एच 0 जे0 एस 0) JO Code: UP 2393

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0-338/2026

विनय कुमार आदि प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या-29/2026

धारा-115(2), 109(1), 74, 333, 352 भारतीय न्याय संहिता
व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(v), 3(2)(Va), 3(1)(w) अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना-अछल्दा, जिला औरैया।

दिनांक 13.03.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विनय कुमार एवं कृष्ण उर्फ सानू तिवारी उर्फ कृष्णा की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 29 सन् 2026, अंतर्गत धारा 115(2), 109(1), 74, 333, 352 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)द, ध, 3(2)(v), 3(2)(Va), 3(1)(w) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना-अछल्दा, जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से पृष्ठांकन किया गया है कि प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना है।

चूंकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं, अतः ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक 13.03.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
JO Code UP 2393